न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानियॉं (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 77/2024 GCMS 2024/164

प्रार्थी

1. रमेश पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कमला देवी पुत्री गोमाराम
2. गुमानाराम पुत्र गोमाराम
3. पुसाराम पुत्र गोमाराम
4. बुधाराम पुत्र गोमाराम
5. गंगा देवी पत्नी देबुराम
6. भंवरी देवी पुत्री देबुराम
7. रतनी देवी पुत्री देबुराम
8. नाबालिक चुंका पुत्री देबुराम संरक्षण माता गंगादेवी पत्नी देबुराम
9. बाबुलाल पुत्र नारायणराम
10. मनीश पुत्र नारायणराम
11. लालाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासीगण टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र :– राजस्व रेकर्ड में भाुद्वी दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री हरदेवसिंह चौधरी एवं बीरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री सुरेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 11 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 07/08/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है प्रार्थी के नाम अन्य सहखातेदारान के साथ ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 388 रकबा 2.18 हैक्टर कृशि भूमि कब्ज़ासुदा, खातेदारी सुदा भूमि दर्ज चली आ रही है, जिसका निर्विवाद रूप से प्रार्थी उपयोग–उपभोग करता आ रहा है तथा उसके हिस्से की भूमि के चारो ओर सींव–नींव कायम कर काश्त करता आ [illegible] उपरोक्त खसरा की भूमि में प्रार्थी के पिता नारायणराम पुत्र गोमाराम की मृत्यु दिनॉक 03.[illegible].201[illegible] को हो चुकी है जिसका विरासत का नामान्तरकरण दिनॉक 03.10.2020 को दर्ज किया गया, [illegible] दिनॉक 06.10.2020 को ग्राम पंचायत की मीटींग में सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है उस दौरान प्रार्थी का नाम र[illegible] के स्थान पर भूलवंश रामेश्वर कर दिया गया था, जबकि प्रार्थी का सही नाम सम्पूर्ण दस्तावेज, आधार कार्ड, अंकतालिका, लाईसेंस, राशनकार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजात में रमेश है जो कि शुद्वी कराने का प्रार्थी अधिकारी है। उपरोक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर रामेश्वर दर्ज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

के कारण प्रार्थी को कई परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रमेश दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 11 की ओर से प्रार्थीना–पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामे वर के स्थान पर रमेश दर्ज किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अप्रार्थी सं. 12 राज़ पैरोकार उपस्थित आये, जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम टोरड़ा के खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 388 की नकल, नामान्तरकरण संख्या 754 दिनॉक 01.10.2020 की छाया प्रति, आधार कार्ड 644334062389 की छाया प्रति, विवाह पंजियन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान नामांकन 0602235 25 जून 2010 की छाया प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छाया प्रति, कक्षा 8वी बोर्ड पैटर्न परीक्षा 2008 प्रमाण–पत्र व अंक तालिका 15 अप्रैल 2008 की छाया प्रति, राशन कार्ड 008381500158 की छाया प्रति, जन आधार कार्ड 5108630400 की छाया प्रति, ई–श्रम कार्ड सं. 781946728115 की छाया प्रति, नारायणराम पुत्र गोमाराम जाट के मृत्यु प्रमाण पत्र सं.46/10.09.2010 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिन्होने कथन किया है कि उपरोक्त खसरा की भूमि में प्रार्थी का नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय रमेश के स्थान पर रामेश्वर गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जावें। प़त्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रस्तुत संभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम रमेश दर्ज है तथा अप्रार्थीगण 1 से 11 सहखातेदारान ने भी जवाब प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि रामे वर के स्थान पर रमे । राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी दस्तावेजात इत्यादि से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रार्थी का नाम विरासत नामान्तरकरण संख्या 754 दिनॉक 01.10.2020 मे सहवन से बोलता नाम रामेश्वर दर्ज कर दिया गया है जो शुद्धि योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार काबिल पाया गया, जो स्वीकारं किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज. के खसरा नम्बर 388 रकबा 2.18 हैक्टर में रामेश्वर पुत्र नारायणराम हिस्सा–7/108 जाति जाट सा. देह खातेदार अशुद्व प्रविष्टि को ***शुद्व प्रविष्टि रमेश पुत्र नारायणराम हिस्सा–7/108 जाति जाट सा. देह खातेदार*** राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनॉक 07/08/2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानियॉ R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(डीडवना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन)राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/173 दिनॉकः–08/08/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 77/2024 **GCMS 2024/164** रमेश बनाम कमलादेवी वगैरह में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 77/2024 **GCMS 2024/164** रमेश बनाम कमलादेवी वगैरह में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व कर पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.09.09 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested